न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0), सुपौल

परिवाद वाद संख्या– 34सी / 2025

बलराम राम..परिवादी

बनाम्

कुशेश्वर यादव एवं अन्य 04...प्रस्तावित अभियुक्तगण

04/04/2026

परिवादी चन्देश्वरी शर्मा अनुपस्थित है। बार–बार पुकार पर न तो परिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनके तरफ से कोई अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

अभिलेख से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत अभिलेख सुनवाई हेतु निश्चित है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि विगत कई तिथियों से परिवादी की ओर कोई पैरवी नहीं किया गया है और न ही परिवादी स्वयं अपना शपथ पर बयान हेतु उपस्थित हो रहे है उससे स्पष्ट है कि वाद में उनकी कोई अभिरूची नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में, परिवाद वाद में प्रस्तावित अभियुक्तों के विरूद्ध ऐसी कोई भी सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे उनके विरूद्ध परिवाद पत्र में वर्णित धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत हो।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तुत परिवाद वाद खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(दिलीप कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (एस0सी0 / एस0टी0)
सुपौल